

परिशिष्ट-“क”

मुख्यालय पुलिस गहनिदेशक, उत्तर प्रदेश।

१५तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रकला CG-IV-130(10)13-Part-2

दिनांक: लखनऊ: ०४ मार्च २०१५

आवश्यक:

गाड़ी बुलिस भर्ती एवं गोमति घोड़ी,

सुसम्बन्ध।

विषय:-

आरक्षी समकाल पर सीधी भर्ती-2013 के अन्तर्गत आधारितों का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में।

चाहपाणी मेरे समानक पत्र हिनोमित १४.०३.२०१५ का सन्दर्भ प्रहण करें, जो वर्ष २०१३ आरक्षी समकाल पुलिस चिकित्सा प्रपत्र के संबंध में है।

२- प्रश्नगता प्रावरण में दृष्टिपुर्य जनपदों द्वाये वर्ष-2009 की आरक्षी भर्ती के चिकित्सीय परीक्षण में दृष्टि की तीक्ष्णता हेतु निधारित मानक का उल्लेख करते हुये वर्णन में उल्लेख हो रही अवधारिक कठिनाईयों शीघ्र दूर विद्ये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

३- कठिनया जनपदों द्वाये गये अनुरोध एवं रासानकी संख्या ६२७०/पांच-५-२३-७० दिनांक १६.११.१९७८(लाया प्रति संलग्न) में निधारित प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व आरक्षी सीधी भर्ती-2009 में वेत्र परीक्षण को मानक को पुलिस भर्ती चिकित्सा ग्राम में सम्मिलित करते हुये मिना चाहमों के दृष्टि की तीक्ष्णता पिण्ड प्रकार निधारित को जारी है।

१-दूर दृष्टि घोड़ों द्वाये घोड़ों ८-६/१ अध्यवा एक आँख में ६/१२ हो सूखी और दूरी में ६/६।

२-मिक्रो दृष्टि घोड़ों आँखों में कमाशा ०.६ व ०.८।

२- अतएव तद्दुसार इसे चिकित्सीय परीक्षण में सम्मिलित करते हुये अधिग्राम आवश्यक कार्यवाही करने का काष्ट करे

(अर्थात् दूर दृष्टि घोड़ों में
पुलिस गहनिदेशक
उत्तर प्रदेश।)

4. यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन/अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

5. चिकित्सीय परीक्षण से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील, जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को सम्बोधित होगी प्रस्तुत करेगा, इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जायेगी, जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करायी जायेगी।

6. चिकित्सीय परीक्षण हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य (यथा—मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुचाने का प्रयास) प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, जनपद

संख्या:—

दिनांक:.....

प्रतिलिपि—प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे पत्र की एक प्रति अभ्यर्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी के ऊपर अंकित पते पर हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि अभ्यर्थी अंकित पते पर उपस्थित नहीं मिलता है तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को उपरोक्तानुसार पत्र प्राप्त कराकर दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित करा दिया जाये।

उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

(उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)

- 1— भर्ती बोर्ड का कमॉक.....
 2— अनुक्रमॉक—.....
 3—अभ्यर्थी का नाम.....
 4— पिता का नाम.....
 5—स्थायी पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड)

अभ्यर्थी का फोटो
 चस्पा किया जायेगा,
 जिसे नोडल अधिकारी
 द्वारा मिलान के
 उपरान्त प्रमाणित
 किया जायेगा।

.....जनपद पिन कोड

6—पत्र व्यवहार का पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और पिन कोड)

.....जनपद पिन कोड

7— मोबाइल नम्बर—..... 8— ई—मेल

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अँगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
---	----------------------------------

नोट—

- 1—अभ्यर्थी के पुलिस लाइन्स आगमन पर सूची में उसके नाम का मिलान कर के चिन्हित किया जायेगा।
- 2— उपस्थित रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी से भरवाया जायेगा।
- 3— उपस्थित रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जायेगी।
- 4— अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, थाना, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

जनपदीय चिकित्सा परिषद

(उ०प्र० पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)
में अभ्यर्थी का शारीरिक मानक एवं चिकित्सीय परीक्षण

- 1—आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या..... अनुक्रमांक
- 2—अभ्यर्थी का नाम..... श्रेणी
- 3—पिता का नाम.....
- जन्मतिथि..... दिनांक
- चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम.....
- चिकित्सा परिषद—प्रथम / द्वितीय(अपीलीय).....

भाग—प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(सेमी)	ऊँचाई(सेमी)	वजन(किग्रा०)	सफल	असफल कारण सहित
न्यूनतम मानक पुरुष सामान्य जाति / पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति—163 अनुसूचित जन जाति—156	न्यूनतम मानक महिला सामान्य जाति / पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति—150 अनुसूचित जन जाति—145	(केवल महिला) न्यूनतम् 40 किलोग्राम		

भाग—द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क्र० सं०	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकरात्मक)
1	नॉक—नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो—लेग्स		
	फ्लैट—फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज—वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिएबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिफॉरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिगो		

क्र० सं०	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(सकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)
3	दृष्टि		
	(1) आंखों का भेंगापन(स्विचन्ट)		
	(2) वर्णान्धता(कलर ब्लाइण्डनेस)	बांधी आंख	दाहिनी आंख औसत
	(3) दूर दृष्टि(बिना चश्मे के)		
	(4) निकट दृष्टि		
4	इत्यादि		
चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त (भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित)			
सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त/अनुपयुक्त भाग—प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार कारण सहित			
<p>नोट—</p> <p>1— अभ्यर्थियों के स्वाथ्य परीक्षण में उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ही लिखा जाय। अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त न लिखा जाय।</p> <p>2— कलर ब्लाइण्डनेस के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासनादेश संख्या—6351—B/V—501—59 दिनॉक—24.12.1959 अवश्य देख लिया जाय।</p>			
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर			
अभ्यर्थी का अंगूठा निशान बॉया दाहिना			

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
सदस्य चिकित्सा परिषद

हस्ताक्षर नाम व मुहर
अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

परिशिष्ट-“ड.”

From
SACHIV
UTTAR PRADESH SHASAN

To,

SWASTHYA BIMA SANCHALAK,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.
Dated Lucknow, December, 24, 1959.

Subject:----- Revision of standard of vision in respect of services under the State Government.

Sir,

-----the standard of vision -----70-B/V-596
1957 dated ----- 1958, was found to be still ----- It was therefore, deemed necessary to review certain aspects of the earlier decision. A committee consisting of some ophthalmic experts of the State and certain Heads of Technical Departments was formed to examine the matter. After a thorough examination thereof the Committee had submitted. Its recommendations for modifying, in certain respects, the prescribed standard of vision for first entry in the State Services including the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch). The Government after having given careful consideration to the Committee's suggests has in partial modification of G.O. no. 70-B/V-596-1957, dated January 8, 1958 (referred to above) been pleased to order as follows:-

A-Entry of one-eyed person in service under the State Government:-

- (i) Class I and II Services---Non one-eyed person should be appointed to Class I or Class II Services except where the appointment is to be on contract basis.
- (ii) Class III Ministerial Services- One-eyed person may be recruited to Class III Services and such other non-technical Class III Services which do not involve hazardous work provided that the sound eye has a vision of 6/6 or 6/9.
- (iii) Class IV Services-Absence of vision in one eye should not be deemed an absolute disqualification for entry in Class IV Services if the vision in the functioning eye is 6/6 or 6/9 and there is no likelihood of deterioration of vision in the functioning eye. If a Class IV Service constitutes technical personnel employed in a factory or in grinding work or on a similar job involving hazardous duties the absence of one eye should be a definite disqualification for the recruitment of such personnel.

COLOUR VISION

B- Standard of colour vision for services under the State Government:-

I. Non-Technical Services:-

Colour vision should be tested and recorded for all class of non-technical services (Class I, II, III and IV) but defective colour vision should not be a disqualification for entry into these services.

III. Technical Services:-

(i) POLICE SERVICES For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification.

(ii) ---- SERVICES

Persons with defective colour vision as tested on Ishihara's plates should not be recruited to the posts of Drivers, Mechanics, and Foremen under the Transport Department. For other posts in the Transport Department colour vision should be tested and recorded but defective colour vision will not constitute a cause for rejection in their cases.

(iii) Medical Services

Candidates who can recognise gross forms of principal colours (red, green, blue and yellow) as tested by colour discs of the above colours of 1" diameter should be considered medically fit for recruitment to Medical Services.

(iv) Engineering Services of Irrigation Departments.

(1) Recognition of gross form of red, blue green and yellow colours as tested by colour discs of 1" diameter should be considered sufficient for entry into the services.

(2) For Architects in the above services finer colour differentiation being essential colour vision should be tested on in Ishihara plates and any defect shown by them should be a cause of disqualification.

C- Acuity of Vision

1. Naked eye vision As already prescribed in G.O. no.
2. Distance and near vision (70-B/V-596—57, dated January 8, 1958).
3. Maximum permissible Subject to visual standards as already laid

refractive error down in G.O. no. 70-B/V -596/57,

dated January 8, 1958, the amount of refractive error in respect of Class I and II Services should be as below:-

(i) All Technical Services, Correction upto +6, diptres or -6

(Transport and Police Service) dioptres (inclusive of cylinders) should be permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of the progressive type. Presence of myopic crescent by itself without any other degenerative change should not constitute a cause for rejection.

(ii) Non-Technical Service... Correction upto +8 dioptres or -8 dioptres (inclusive of cylinders) should be made permissible provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of the progressive type. Proportion of myopic crescent by itself without any other degenerative change should and constitute a cause for rejection.

Class III and IV Services

No limit for refractive error if the visual acuity is in accordance with the standards already laid down in G.O. no. 70-B/V-596/1957, dated January 8, 1958.

Motor Drivers

(I) Naked eye Vision -- As already provided in the said Government Order.

(ii) Corrected Vision-- Minimum vision after correction with glasses should not be below 6/12 in any of the eyes.

(iii) Maximum permissible Subject to the above visual standards the refractive error. amount of refractive error should not exceed +6 dioptres or -6 dioptres provided there are no degenerative changes on fundus examination and the myopia is not of progressive type. Presence of myopic crescent by itself without any other degenerative changes should not constitute a cause for rejection.

(iv) Colour Vision ----- Drivers should be tested for colour vision on Ishihara's plates and any defect detected on this test should be a cause for rejection.

(v) Field of Vision ----- This should be tested in all drivers by confrontation test and suspicion of any defect should be confirmed by perimetry or Bj. careren.

(vi) Squint ----- Presence of manifest squint in the case of drivers should constitute a cause for rejection.

(vii) Periodical Check-U.P. The drivers should be required to have a check-up after every four years under the above headings.

D-General

Such of the candidates as do not fulfill all the standards but are yet considered likely fit cases" by the ophthalmic surgeon in the Board, should be referred to a special Medical Board comprising of three ophthalmic surgeons the senior most of whom will act as Chairman.

2. In all other respects excepting the above, the provisions of G.O. no. 70-B/V-596/1957, dated January 8, 1958 shall remain unaltered.

3. The above orders will come into force with effect from the date of their issue and all cases as have not finally been disposed of should be covered by these orders and dealt with accordingly.
4. Necessary draft correction slip to paragraph 247 of the Uttar Pradesh Medical Manual Second Edition corrected upto June, 30 1953) may be submitted to Government for approval in due course.

Yours faithfully,
K.C. JOSHI,
Up Sachiv,
For Sachiv.

No. 5351/(i)B/V-501-1959

- Copy forwarded for information to-----
- (i) all Heads of Departments and the Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh,
 - (ii) all departments of the Secretariat,
in continuation of G.E. No. 70(i) B/V-596-1957, dated January 6, 1958.

No. 5351/(i) B/V-----501-1939

Copy also forwarded for information to-----

- (i) The Secretary, Uttar Pradesh Public Service Commission, Allahabad.
- (ii) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad,
In continuation of G.E. no. 70(ii) B/V-596-1957, dated January 8, 1958,

By order,
K.C. JOSHI,
.. Sachiv

परिशिष्ट-“च”

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020
हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जनपदीय चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध
मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील हेतु प्रार्थना—पत्र का प्रारूप

सेवा में

मण्डलीय चिकित्सा परिषद,

मण्डल

अभ्यर्थी का फोटो चर्चा
किया जायेगा, जिसे नोडल
अधिकारी द्वारा मिलान के
उपरान्त प्रमाणित किया
जायेगा।

विषय—जनपदीय चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध मण्डलीय चिकित्सा परिषद के
समक्ष अपील हेतु प्रार्थना—पत्र।

महोदय,

आज दिनांक—..... को जनपद— की चिकित्सा परिषद
द्वारा मुझे परीक्षण के मध्य निम्न कमियों के कारण अनुपयुक्त घोषित किया गया हैः—

- 1
- 2
- 3

2— उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं जनपदीय चिकित्सा परिषद द्वारा घोषित उक्त परीक्षण
परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ।

3— अतः अनुरोध है कि मेरा चिकित्सा परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराये जाने
की कृपा करें। मैं निर्धारित तिथि पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत
करूँगा।

दिनांक:

भवदीय,

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता का नाम

अनुक्रमांक.....

आवेदन पत्र संख्या.....

मोबाइल नंबर.....

ई—मेल.....

परिशिष्ट—“ च-१”

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी अपील की सूचना प्राप्ति पत्र
का प्रारूप (कार्यालय प्रयोग हेतु)

मेरे द्वारा अपने चिकित्सा परीक्षण से असन्तुष्ट होने के कारण प्रस्तुत अपील को मण्डलीय चिकित्सा परिषद से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा तिथि व समय से अवगत कराया दिया गया है। मैं नियत तिथि व समय पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सा परीक्षण हेतु समय से उपस्थित होऊँगा।

हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता का नाम

जनपद का नाम—

अनुक्रमांक.....

आवेदन पत्र संख्या.....

मोबाइल नम्बर.....

ई—मेल.....

चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी अपील की सूचना प्राप्ति पत्र
(मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने हेतु अपील की सूचना)

(अभ्यर्थी के लिये)

आज दिनोंक को अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य परीक्षण से असंतुष्ट होने की दशा में अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कराये जाने की तिथि - -2023 नियत की जाती है। अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण हेतु मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उक्त नियत तिथि व समय पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार समर्त अभिलेखों सहित प्रातः 08:00 बजे उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करायें।

नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम व पद नाम

जनपद का नाम.....

मोबाइल नम्बर.....

परिशिष्ट-“छ”

(मण्डलीय चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप

(उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1— भर्ती बोर्ड का क्रमांक..... | अभ्यर्थी का फोटो
चर्चा किया जायेगा,
जिसे नोडल अधिकारी
द्वारा मिलान के
उपरान्त प्रमाणित
किया जायेगा। |
| 2— अनुक्रमांक—..... | |
| 3—अभ्यर्थी का नाम..... | |
| 4— पिता का नाम..... | |
- 5—स्थायी पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला, थाना, विकास खण्ड, तहसील, जिला और पिन कोड)

- | | |
|--|----------------|
|जनपद | पिन कोड |
| 6—पत्र व्यवहार का पता(गाँव/मकान नम्बर व मोहल्ला,थाना,विकास खण्ड,तहसील,जिला और पिन कोड) | |
|जनपद | पिन कोड |
| 7— मोबाइल नम्बर—..... | 8— ई—मेल |

अभ्यर्थी के बाये हाथ के अँगूठे का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
---	----------------------------------

नोट—

- 1—अभ्यर्थी के पुलिस लाइन्स आगमन पर सूची में उसके नाम का मिलान कर के चिन्हित किया जायेगा।
- 2— उपस्थित रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी से भरवाया जायेगा।
- 3— उपस्थित रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जायेगी।
- 4— अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, थाना, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणोंसहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

मण्डलीय चिकित्सा परिषदउ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020
में अभ्यर्थी का शारीरिक मानक एवं चिकित्सीय परीक्षण

1—आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या..... अनुक्रमांक

2—अभ्यर्थी का नाम.....

3—पिता का नाम.....

जन्मतिथि..... दिनांक

चिकित्सा परीक्षण केन्द्र का नाम.....

चिकित्सा परिषद—प्रथम / द्वितीय(अपीलीय).....

भाग—प्रथम, शारीरिक मानक परीक्षण

ऊँचाई(सेमी) न्यूनतम मानक पुरुष सामान्य जाति/ पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जाति—163 अनुसूचित जन जाति—156	ऊँचाई(सेमी) न्यूनतम मानक महिला सामान्य जाति/ पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जाति—150 अनुसूचित जन जाति—145	वजन(किलोग्राम) (केवल महिला) न्यूनतम् 40 किलोग्राम	सफल	असफल कारण सहित

भाग—द्वितीय, शारीरिक मानक परीक्षण

क्र सं	परीक्षण	परिणाम(√) करें	
		Positive(साकारात्मक)	Negative(नकारात्मक)
1	नॉक—नी(आपस में टकराते घुटने)		
	बो—लेग्स		
	फ्लैटक—फीट(समतल तलवे)		
	वैरीकोज—वेन्स(उभरी हुए नसे)		
	स्पीच डिएबिलिटी		
	अन्य कोई शारीरिक डिटॉरमिटी(विकृति)		
2	हियरिंग(श्रवण परीक्षण)		
	(1) रिन्नीज टेस्ट		
	(2) वेबर्स टेस्ट		
	(3) वर्टिंगो		

(c) In the case of direct recruits to the State Services under the Uttar pradesh Government includes requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(e) above. The appointing authority shall refer all cases simultaneously to Deputy Inspector General of Police, intelligence and the District Magistrate (of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry) giving full particulars about the candidate. The District Magistrate shall get the reports in respect of the candidates from the Superintendent of Police who will consult District Police Records and records of the Local Intelligence Unit. The District Police or the District Intelligence Unit shall not make any enquiries on the spot, but shall report from their records whether there is anything against the candidate, but if in any specific case the District Magistrate, at the instance of the appointing authority asks for an enquiry on the spot, the Local Police or the Local Intelligence Units will do so and report the result to him. The District Magistrate shall then report his own views to the appointing authority. here the District Police or the Local Intelligence Units report adversely about a candidate, the district Magistrate may give the candidate hearing before sending his report.

(d) In the case of direct recruits (who are lower in rank than that of a state Service Officer) of:

- (i) The Police * (including ministerial staff of Police Officers),
- (ii) The Secretariat,
- (iii) The staff employed in government factories.
- (iv) Power houses and dams,

besides requiring the candidates to submit the certificates mentioned in paragraph 3(a) above the appoin authorities shall refer all cases simultaneously to the Deputy Inspector General C.I.D. and the District Superintendent of Police ** of the home district and of the district(s) where the candidate has resided for more than a year within five years of the date of the inquiry giving full particulars about the candidates. The Superintendent of Police will send his report direct to the appointing authority if there is nothing adverse against the candidate. In cases where the report is unfavourable the Superintendent of Police will forward it to the District Magistrate who will send for the candidate concerned give him a hearing and then, from his own opinion. All the necessary papers (the Superintendent of Police's report, the candidate's statement and the District Magistrate's finding) will thereafter be sent to the appointing authority.

4. It will be seen that in cases of direct recuits to services other than those mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above, verification shall not be necessary as a matter of routine except in cases of doubt when the procedure mentioned in paragraph 3(b) shall be followed.

5. In the case of a candidate for services mentioned in paragraphs 3(c) and 3(d) above--

(i) if at the time of enquiring the candidate is residing in a locality situated outside Uttar Pradesh or if he has resided in such a locality at any time within five years of the date of enquiry for a period of one year or more it shall be the duty of the Deputy Inspector General, C.I.D. to consult also the C.I.D. of the State concerned in which the locality is situated before making his verification report;

(ii) If the candidate was residing before partition in area now comprising Pakistan the Deputy Inspector General, C.I.D. shall also make a reference to the Director of Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, in addition to the usual enquiries as indicated above.

6. It has also been observed that where the District Magistrates are required to send the attestation forms they sometimes do not sign the forms themselves, Government consider it very desirable that the attestation forms should invariably be signed by the District Magistrates themselves in all such cases.

7. Other State Governments and Administrations are being informed separately that the verification of character and antecedents of recruits to their services from this State will hence forth be done according to the procedure adopted in the case of recruits to different categories of services under this State Government.

8. In order to prevent a candidate, who has been disqualified for Government employment from securing employment in a subordinate or inferior service other than those mentioned in paragraph 3(d), every person recruited to these services should be required at the time of joining his appointment to fill up the form appended as Annexure III to this letter. If he is found to have made a false statement in this connection, he should be discharged forthwith, without prejudice to any other action that may be considered necessary.

9. All questions arising from these orders shall be referred to Government in the Appointment (B) Department for decision.

10. A form each of (i) Particulars about the candidate, (ii) Character Certificate and (iii) Statement of candidates to be used by the enquiring officers is annexed to this letter.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN
Mukhya Sa

No/ 4694 (I)/II-B-321-1947

Copy forwarded for information and necessary action to--

- (1) All Departments of the Secretariat,
- (2) the Deputy Inspector General of Police, C.I.D., Uttar Pradesh, Allahabad,
- (3) The Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad,
- (4) The Secretary to the Governor, and
- (5) The Registrar, High Court of Judicature at Allahabad.

By order,
P.C. PANDE,
Up Sachiv,

**ANNEXURE I
ATTESTATION FORM***

Warning

(1) The furnsing of false information or suppression of any factual information in this form would be a disqualification , and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

(2) If detained, convicted, debarred, etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated to the U.P. Public Service Commission, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

1. Name in full with aliases, if any

2. Father's name in full with aliases, if any, and designation of service, if any

3. Nationality of:

Father

Mother

Husband

Wife

Place of birth

Husband

Wife

4. Home address in Full :

(i.e. Village, thana and District/Road, Street or Lane with house no.)

If originally a resident of Pakistan, the address in that Country and the date of migration to India should be stated here.

5. Present address in full

6. Addresses during the preceding five years

7. Age and date of birth (if the candidate is matriculate, his age at matriculation should be noted)

8. Educational qualifications showing places of education with years in schools and colleges since the 15th year of the candidate

Name of the school/college with full address	date of entry	date of leaving	Examination passed
--	---------------	-----------------	--------------------

9. Offices or firms with full description and addresses where the candidate previously worked and where he is working at present, if any

Designation of the post held or description of work	from	period	to	Full address of the office, firm or institution	Full reasons for leaving the previous service

10. Name of two responsible persons in the locality or two referees whom the candidate is known

11. (a) Have you ever been arrested, prosecuted, kept in detention or bound down, fined, convicted by a court of law for any offences or debarred/disqualified by any Public Service Commission from appearing at the examination/selections or debarred from taking any examination, rusticated by any other educational authority/institution ?

(b) Is any case pending against you in any court of law, university or any other educational authority/institution at the time of filling up this attestation form ?

If the answer to (a) or (b) is "Yes" full particulars of the case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, etc, and the nature of the case pending in the court/university/educational authority, etc. at the time of filling up this form, should be given

(Please also see the warning at the top of the attestation form)

(Certificate to be signed by the candidate)

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date

Signature of Candidate

Place

ANNEXURE II

Character Certificate

Certified that I have known Sri Son of years
..... months and that to the best of my knowledge and belief he bears a reputable character
and has no antecedents which render him unsuitable for Government employment.
2. Sri is/is not related to me.

Place.....
Dated.....

Signature
Designation

ANNEXURE III

Form of Statement of candidates under consideration for appointment to a subordinate service
under Government

I a candidate for appointment to
hereby certify that my answers to the following questions are correct:

(a) Have you previously been employed by the Central or a State Government?

*No

..... See below:

*Yes

Department or office in which previously employed	Designation of appointment	Reasons for termination of appointment
.....

(b) Have you previously applied with success for an appointment under the Central or a
State Government?

*No

..... See below:

*Yes

Department or office in which an appointment was sought	Designation of appoint- ment applied for
.....

I understand that if the above statement is false in any material respect; my appointment
is liable to be terminated without notice, and without my being entitled to claim any
compensation and without prejudice to any other action that may be considered necessary by
competent authority.

Signature of candidate

Date

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय साहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रतिदिन (डेली) सूचना भेजने का प्रारूप)

क्र सं 0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	चरित्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चरित्र सत्यापन का दिनांक	कितने अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की गयी	कितने अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन की कार्यवाही शेष है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5			14

चेक लिस्ट

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की
(जाने वाली चेक लिस्ट)

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	यथा स्थिति
1	आवेदन पत्र की प्रति, अनुक्रमांक, चयनित	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
2	उपयुक्त होने सम्बन्धी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (यथा चिकित्सा परिषद अथवा मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड) मूलरूप में	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
3	शपथ पत्र मूलरूप में।	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
4	शैक्षिक योग्यता प्रमाण—पत्रों(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र) की प्रमाणित प्रति	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
5	यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी कोई लाभ लिया गया है तो उसके सम्बन्ध प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों।	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
6	चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट(रथाई पता/पत्र व्यवहार पता से सम्बन्धित थानों से/रथानीय अभिसूचना इकाई एवं अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ) मूलरूप में	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
7	अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो तो तत्सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त पाये गये।	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
8	अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण—पत्रों(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र) उपयुक्त पाये गए।	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
9	वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गये हैं।	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं
10	अभ्यर्थी के सन्दर्भ में यदि कोई जॉच/अभियोग/प्रतिकूल तथ्य जो प्रकाश में आये हैं, किसी सरकारी विभाग को सन्दर्भित किया गया है तो इसका विवरण	<input checked="" type="checkbox"/> हॉ <input type="checkbox"/> नहीं

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....

“पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का प्रारूप”

आदेश

“उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली-2016” में निहित व्यवस्था के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा अभ्यर्थी अनुक्रमोंक पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी-ग्राम.....पोस्ट— थाना— तहसील— जनपद— (पिन कोड नं0.....) राज्य.....को पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर चयनित किया गया है।

2— अतः अभ्यर्थी अनुक्रमोंक पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी-ग्राम.....पोस्ट— थाना— तहसील— जनपद— (पिन कोड नं0.....) राज्य को “उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली-2016” के अधीन उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2020 के पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर अस्थाई रूप से जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

3— अभ्यर्थी की यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। इन्हें प्रतिमाह नियमानुसार अनुमन्य वेतनमान लेवेल— ग्रेड पे 2800/- मैट्रिक्स 5200-20200 मे मूल वेतन रूपया प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)

पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद.....
संख्या—..... दिनांक.....

प्रतिलिपि—प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिकूट आरक्षी को भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जे०टी०सी० कराने तथा किट प्रदान करने हेतु।

2— ऑफिक/प्रधान लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3— अभ्यर्थी अनुक्रमांक पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी—ग्राम.....
पोर्स्ट—..... थाना—..... तहसील—..... जनपद—.....

(पिन कोड नं०.....) राज्य को इस निर्देश के साथ कि इस नियुक्ति—पत्र के प्रस्तर—२ में अंकित दिनांक से ०१ माह के भीतर मेस एडवान्स, जाड़े—गर्मी के कपड़े एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन/वाहिनी जनपद में सेवा/प्रशिक्षण के लिए आगंमन करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर आपके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

आपके निवास स्थान से पुलिस लाइन जनपद आने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद.....

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उ०प्र०० पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक जोन |
- 3— पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र |
- 4— पुलिस अधीक्षक रथापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को उनके पत्रांक
दिनांक के सन्दर्भ में।

अभ्यर्थियों से सम्बन्धित अलग-अलग पत्रावलियों का प्रारूप

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती—2020 में चयनित सभी अभ्यर्थियों की अलग-अलग पत्रावलियाँ होनी चाहिए तथा पत्रावली के ऊपर निम्नलिखित शीर्षक अंकित किया जाय।

- 1— भर्ती बोर्ड से प्राप्त होकर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूची का मुख्य क्रमांक.....
- 2—अभ्यर्थी का नाम.....
- 3— पिता का नाम.....
- 4— गृह जनपद.....
- 5— उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त.....
- 6— यदि अनुपयुक्त है तो किस स्तर पर और उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाय:—.....
.....
.....
- 7— नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद.....

पत्रावली के अन्दर निम्नवत् क्रम में अभिलेखों का रख जाना अपेक्षित है:—

(पृष्ठों की संख्या.....)

- 1— अभ्यर्थी का ओ.एम.आर. आवेदन पत्र.....
- 2— स्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....
- 3— अस्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....
- (1)
- (2)
- (3)
- 4— अभिसूचना विभाग की चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट.....

(कुल पृष्ठों की संख्या.....)

उपस्थिति पत्रक का प्रारूप

उ0प्रो पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2020 में चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें 01 से 10 तक ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-